न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।

C.N.R. No. : UPAU010029802025 ; दाण्डिक अपील संख्या : 29/2025

उपस्थिति : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code : U.P. 6484

–

1. धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री जगदीश सिँह उम्र 51 वर्ष, प्रोपराइटर मैसर्स सिद्धेश्वर ट्रेडर्स दिबियापुर रोड़ (ककोर वाले डॉक्टर के पास) शहर व जिला औरैया । ...अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) औरैया ।

2. सौरभ बीज भण्डार फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया, प्रोपराइटर सौरभ तिवारी पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र मोहन तिवारी एडवोकेट निवासी मौहल्ला बघाकटरा शहर व जिला औरैया ।

...प्रत्यार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स

दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 415 BNSS

थाना : कोतवाली ।

जिला : औरैया ।

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी धर्मेन्द्र यादव द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रत्यार्थीगण /रेस्पोडेंट्स (1) उत्तर प्रदेश राज्य व (2) सौरभ तिवारी के विरुद्ध दायर की गई है ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 1774/2019 'सौरभ बीज भण्डार बनाम धर्मेन्द्र यादव', अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया, मे पारित प्रश्नगत् आदेश व निर्णय दिनाँकित 31–05–2025 को अपास्त किए जाने हेतु यह फौजदारी अपील दायर की गई है ।

अपीलार्थी धर्मेन्द्र यादव की ओर से इस दाण्डिक अपील मे निम्न आधार उल्लिखित किए गए है कि "...विद्वान अवर न्यायालय का आदेश व निर्णय खिलाफ वाक्यात व खिलाफ कानून है एवं वास्तविक तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अवर न्यायालय द्वारा बगैर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये मनमाने ढ़ंग से आदेश पारित किया है जिससे विद्वान अवर न्यायालय का आदेश व निर्णय एक पल भी स्थिर रहने योग्य नही है । अवर न्यायालय द्वारा जो विवादित बिन्दु बनाये गये है, उनमे एक तरफ तो चैक जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर बैंक मे समाशोधन हेतु प्रस्तुत किया जाना बताया गया है । चूंकि परिवादी द्वारा प्रथम चैक दिनाँक 30–01–2019 को अपीलकर्ता द्वारा चैक

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.03.17 16:32:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया जाना बताया है, इसके तीन माह की वैधता समाप्त होने पर वो चैक कथित चैक बैंक मे लगाने का प्रश्न नही उठता है । ऐसी स्थिति मे अवधि के बाहर दिनाँक 30–01–2019 की चैक की धनराशि शामिल कर नोटिस दिया जाना विधि मान्य नही है । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30–01–2019 की चैक दिनाँक 30–01–2019 को चैक अनाद्रित होने पर एक विधिक नोटिस एक माह के भीतर नोटिस दिया जाना चाहिये था जो नही दिया गया जिससे मेन्डेटरी प्रोविजन धारा 138 (बी) का उल्लंघन होते हुए भी अनदेखा कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है जिस सम्बन्ध मे विद्वान अवर न्यायालय के यहाँ 'शरद इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्शियल बनाम लिल्योर्डस रजिस्टर ऑफ शिपिंग इण्डियन', प्रस्तुत की गयी । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा 30 जनवरी सन् 2019 को प्रथम चैक एवं द्वितीय चैक 40,000/– रुपया दिनाँक 08–02–2019 तीसरे चैक मुबलिग 20,000/– रुपया दिनाँक 22–04–2019 तथा चौथी चैक मुबलिग 50,000/– रुपया दिनाँक 06–05–2019 को अपीलकर्ता द्वारा चैके दिया जाना दर्शाया गया है जिसमे दिनाँक 06–05–2019 को दर्शायी गयी चैक को एक्सिस बैंक मे लगाया जाना बताया है और एक विधिक नोटिस सम्पूर्ण चैको का नोटिस दिया गया है जो विधि विरुद्ध है । अपीलकर्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे 'राहुल बिल्डर्स बनाम मिस्टर अरिहन्त फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल', मे विधिक रूप से चैक की रिक्वायर धनराशि का नोटिस विधिमान्य है । सम्पूर्ण धनराशि का नोटिस दिया जाना विधि विरुद्ध है किन्तु इसको भी अनदेखा कर विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश व निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जाने योग्य है । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि यह अपील स्वीकार फरमायी जावे । विद्वान अवर न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनाँकित 31–05–2025 निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य उपशमन जो भी अपीलकर्ता के हित मे हो, उसे भी फरमाये जाने की कृपा की जावे ।"

अपीलार्थी धर्मेन्द्र यादव की ओर से बिना फेहरिस्त सबूत के कागज संख्या 4 ख/1 लगायत 4 ख/7 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा परिवाद संख्या 1774/2019 'सौरभ बीज भण्डार बनाम धर्मेन्द्र यादव' अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया, के अभियोग मे पारित प्रश्नगत् निर्णय दिनांकित 31–05–2025 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गई ।

प्रत्यार्थी संख्या 2 सौरभ तिवारी की ओर से इस दाण्डिक अपील के विरुद्ध मौखिक आपत्ति की गई तथा अभिलेखीय साक्ष्य मे कोई प्रपत्र अथवा दस्तावेज दाखिल नही किया गया ।

प्रत्यार्थी संख्या 1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा भी मौखिक आपत्ति की गयी और अभिलेखीय साक्ष्य मे कोई प्रपत्र अथवा दस्तावेज दाखिल नही किया गया ।

परिवाद संख्या 1774/2019 'सौरभ बीज भण्डार बनाम धर्मेन्द्र यादव' के तथ्य निम्न प्रकार है–

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा यह परिवाद विपक्षी धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध दिनांक 21–06–2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया न्यायालय मे दायर किया गया जिसमे यह कथन उल्लिखित किया गया कि "...परिवादी बीज भण्डार का प्रोपराइटर है । परिवादी नियमित अपनी फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर स्थित अपनी दुकान पर बैठता है व खाद, बीज, कीटनाशक दवाओ व अन्य

खेती सम्बन्धी उत्पादो का व्यापार करता है । परिवादी से अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र जगदीश सिँह यादव ने परिवादी की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाई की सप्लाई देने का वादा किया और सप्लाई देने वाले माल (बीज व कीटनाशक) की कुल कीमत लगभग रुपये 1,90,000/– बतलाते हुए अग्रिम भुगतान करने को कहा जिसके परिणामस्वरूप परिवादी ने समक्ष गवाहान श्री जितेन्द्र सिँह पुत्र श्री विजय सिँह ग्राम माल्हेपुर पोस्ट वाखाउतू थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया व कृष्णचन्द्र सावरन पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र बहादुर निवासी मदार दरवाजा थाना कोतवाली औरैया रुपये 1,90,000/– अभियुक्त को दिनाँक 20–12–2018 को दिये । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कीमत के बीज व कीटनाशक परिवादी की दुकान सौरभ बीज भण्डार फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर प्राप्त कराने का वादा किया जिसे समय पर प्राप्त नही करा सके । जब अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा उपरोक्त माल की सप्लाई नही करायी गयी तो परिवादी ने अभियुक्त को सूचना दी तो दिनाँक 30–01–2019 को दुकान पर आकर माल की सप्लाई न होने की क्षमा याचना करके अभियुक्त ने किस्तो मे रुपये वापस करने का वायदा किया और रुपया वापस करने के इरादे से पहली चैक नम्बर 406699 सिण्डीकेट बैंक औरैया की 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये) की दिनाँक 30–01–2019 को अपने हस्ताक्षर करके दी जिसे परिवादी ने अपनी तरफ से एक्सिस बैंक औरैया मे भुगतान हेतु प्रस्तुत की तो वह अभियुक्त के खाते मे पर्याप्त धन न होने के कारण दिनाँक 31–01–2019 को अनाद्रित कर वापस कर दी गयी । परिवादी ने अभियुक्त को चैक डिसऑनर होने की सूचना दी तो अभियुक्त ने 15 अप्रेल के बाद पुनः चैक लगाकर भुगतान प्राप्त करने का आग्रह करते हुए गलती की क्षमा याचना की तथा रुपये की वापसी का आश्वासन देते हुए दूसरी चैक इण्डियन ओवरसीज बैंक की चैक नम्बर 000058 मुबलिग 40,000/– रुपये दिनाँक 08–02–2019 तथा तीसरी चैक सिण्डीकेट बैंक की चैक नम्बर 093854 की 20,000/– रुपये (बीस हजार रुपये) की दिनाँकित 22–04–2019 अपने हस्ताक्षर करके दो अलग–अलग चैक दी और यह आश्वासन दिया कि इस बार कोई चैक डिसऑनर नही होगी । परिवादी ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की बात पर भरोसा करते हुए दोबारा मे दी गयी चैको को वास्ते भुगतान इण्डियन ओवरसीज बैंक की चैक नम्बर 000058 दिनाँकित 08–02–2019 को अपने एक्सिस बैंक औरैया के खाते मे लगायी जो दिनाँक 08–02–2019 को खाते मे पर्याप्त धन न होने के कारण अनाद्रित कर वापस कर दी गयी । इसके उपरान्त परिवादी ने सिण्डीकेट बैंक की चैक नम्बर 093854 दिनाँक 22–04–2019 को वास्ते भुगतान अपने एक्सिस बैंक खाते मे लगायी तो वह भी दिनाँक 23–04–2019 को डिसऑनर हो गयी । चूंकि परिवादी का अभियुक्त से भुगतान पाना ही मंशा था, इसलिये परिवादी ने पहली सिण्डीकेट बैंक की चैक जो डिसऑनर हो चुकी थी, वह चैक नम्बर 406699 पुनः भुगतान के लिये अपने एक्सिस बैंक के खाते मे दिनाँक 20–04–2019 को लगायी, वह भी दिनाँक 25–04–2019 को पुनः डिसऑनर हो गयी । उपरोक्त सभी चैके खाते मे पर्याप्त धनराशि न होने के कारण डिसऑनर हो रही थी, इसलिये परिवादी ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव से स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से अभियुक्त के समक्ष पहुंच कर स्थिति स्पष्ट की तो अभियुक्त ने एक और अवसर देने की बात कही और एक नई 50,000/– रुपये की सिण्डीकेट बैंक की चैक नम्बर 406700 दिनाँकित 06–05–2019 की चैक अपने हस्ताक्षर करके देते हुए यह आश्वासन दिया कि यह चैक व

अन्य डिसऑनर चैक 5 मई के बाद पुनः लगा दे तो सभी चैको का एक साथ भुगतान मिल जायेगा और शेष रुपया मय ब्याज के जून मे अदा कर दूंगा । परिवादी ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की बात पर पुनः विश्वास करते हुए भुगतान के इरादे से उपरोक्त चैक नम्बर 000058 चैक नम्बर 093854 व नई चैक नम्बर 406700 दिनाँक 06–05–2019 को अपने एक्सिस बैंक औरैया के खाते मे लगायी जो अभियुक्त के खातो मे पर्याप्त धन न होने के कारण बैंक द्वारा डिसऑनर कर दी गयी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव का इरादा भुगतान करने का नही था । इससे यह स्पष्ट है कि वरवक्त परिवादी को चैक जारी करते समय विपक्षी/अभियुक्त अपने उपरोक्त बैंक खातो मे निधि की अपर्याप्तता के तथ्यो से पूर्णतः अवगत था तथा विपक्षी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को दी गयी चैक नम्बर 406699 जो सिण्डीकेट बैंक की, व अकाउन्ट नम्बर 94562200000220 की चैक नम्बर 000058 जो इण्डियन ओवरसीज बैंक को, व अकाउन्ट नम्बर 363802000000010 की, चैक नम्बर 093854 जो सिण्डीकेट बैंक की अकाउन्ट नम्बर 94963070000035 को, तथा चैक नम्बर 406700 जो सिण्डीकेट बैंक की अकाउन्ट नम्बर 9496220000220 की अनाद्रित होना अवश्यम्भावी है, जिससे विपक्षी/अभियुक्त का सुविचारित द्वेषपूर्ण इरादा और द्वेषपूर्ण उद्देश्य यह था कि विपक्षी /अभियुक्त द्वारा परिवादी के प्रति देय धनराशि अलग–अलग खातो की अलग–अलग चैक द्वारा भुगतान न हो सके । परिवादी ने विहित समयावधि के अन्दर दिनाँक 10–05–2019 को अपने अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी/अभियुक्त को देय धनराशि मुबलिग 1,90,000/– जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से विपक्षी/अभियुक्त को परिवाद मे दर्ज उपरोक्त सही पते पर प्रेषित किया गया था । इस मांग नोटिस की विपक्षी/अभियुक्त को प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी विपक्षी/अभियुक्त ने मांग नोटिस मे लिखित समयावधि के अन्दर परिवादी के प्रति देय धनराशि 1,90,000/– रुपये अदा नही की है । इस वजह से परिवादी द्वारा विपक्षी/अभियुक्त के विरुद्ध यह परिवाद धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि विपक्षी/अभियुक्त को तलब कर धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम के तहत दण्डित करने की कृपा करे तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी को हुई आर्थिक हानि के बावत अभियुक्त के द्वारा अलग–अलग खातो की प्रश्नगत् चैक संख्या 406699, चैक संख्या 000058, चैक संख्या 093854, चैक संख्या 406700 से परिवादी को देय धनराशि 1,60,000 रुपये बकाया धनराशि 30,000/– रुपये यानि कुल धनराशि 1,90,000/– रुपये की व दो गुना अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कृपा करे ।"

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा मौखिक साक्ष्य मे स्वयं के बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता की टाइपशुदा प्रति कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/3 दाखिल की गई ।

इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप मे प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी की ओर से फेहरिस्त सबूत 7ख से निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये :–

(1.) कागज संख्या 8ख पंजीकृत डाक दिनाँकित 10–05–2019 की छायाप्रति ।

(2.) कागज संख्या 9ख/1 लगायत 9ख/2 परिवादी सौरभ तिवारी के अधिवक्ता श्री डी.डी. मिश्रा द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी धर्मेन्द्र यादव को पंजीकृत डाक से भेजे गये नोटिस दिनाँकित 10–05–2019 की छायाप्रति ।

(3.) कागज संख्या 10 ख/1 एक किता चैक संख्या 406699 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 30–01–2019 की छायाप्रति ।

(4.) कागज संख्या 10 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 31–01–2019 की छायाप्रति ।

(5.) कागज संख्या 10 ख/3 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 25–04–2019 की छायाप्रति ।

(6.) कागज संख्या 10 ख/4 एक किता चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की छायाप्रति ।

(7.) कागज संख्या 10 ख/5 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की छायाप्रति ।

(8.) कागज संख्या 10 ख/6 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की छायाप्रति ।

(9.) कागज संख्या 10 ख/7 एक किता चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 22–04–2019 की छायाप्रति ।

(10.) कागज संख्या 10 ख/8 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 23–04–2019 की छायाप्रति ।

(11.) कागज संख्या 10 ख/9 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की छायाप्रति ।

(12.) कागज संख्या 10 ख/10 एक किता चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की छायाप्रति ।

(13.) कागज संख्या 10 ख/11 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की छायाप्रति ।

इसके अलावा प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी की ओर से ही अभिलेखीय साक्ष्य के रूप मे फेहरिस्त सबूत 12 ख से निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये :–

(1.) कागज संख्या 13 ख एक किता चैक संख्या 406699 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 30–01–2019 की असल प्रति ।

(2.) कागज संख्या 14 ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 31–01–2019 की असल प्रति ।

(3.) कागज संख्या 14 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 25–04–2019 की असल प्रति ।

(4.) कागज संख्या 15 ख एक किता चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की असल प्रति ।

(5.) कागज संख्या 16 ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की असल प्रति ।

(6.) कागज संख्या 16 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति ।

(7.) कागज संख्या 17 ख एक किता चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 22–04–2019 की असल प्रति ।

(8.) कागज संख्या 18 ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 23–04–2019 की असल प्रति ।

(9.) कागज संख्या 18 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति ।

(10.) कागज संख्या 19 ख एक किता चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति ।

(11.) कागज संख्या 20 ख एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा दाखिल किए गए उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा प्रत्यार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस तलबी सुनकर दिनांक 10–12–2019 को तलबी आदेश पारित किया गया जिसमे अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम के अभियोग मे विचारण हेतु तलब किया गया ।

दिनांक 11–08–2023 को अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव का 'ब्यान–मुल्जिम' लेखबद्ध किया गया जिसमे अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह कहा कि "उक्त धनराशि के चैक मेरे द्वारा परिवादी को दी गयी है जिसमे से रुपये 1,29,000/– मेरे द्वारा परिवादी को दिये जा चुके है । चौथी चैक की नोटिस मुझे प्राप्त हुई थी । मेरे विरुद्ध यह मुकदमा गलत चला । और कुछ नही कहना है ।"

तत्पश्चात प्रत्यार्थी/परिवादी की ओर से धारा 254 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत pw1 के रूप मे प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश व परीक्षित कराया गया तथा pw2 के रूप मे कृष्णचन्द्र सावरन पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र बहादुर को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश व परीक्षित कराया गया । इन दोनो साक्षीगण से अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई जो कि पूर्ण हुई ।

दिनांक 21–11–2024 को अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए जिसमे अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह कहा कि "दिनाँक 30–01–2019, दिनाँक 08–02–2019, दिनाँक 22–04–2019 को चैको का नगद भुगतान किया गया फिर भी समस्त चैको का भुगतान मांगने पर न देने की स्थिति मे गलत दावा दायर किया । वादी मुकदमा गवाह pw1 सौरभ तिवारी ने गलत व झूठा ब्यान दिया । मेरे विरुद्ध यह मुकदमा रंजिश के कारण झूठा चला ।" अपीलार्थी/अभियुक्त ने सफाई–साक्ष्य देना भी कहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बावत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से सफाई–साक्ष्य मे न तो किसी साक्षी को उक्त न्यायालय मे पेश किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई अभिलेखिय साक्ष्य

अथवा दस्तावेज ही दाखिल किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी और अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनकर परिवाद संख्या 1774/2019 "सौरभ बीज भण्डार प्रोपराइटर सौरभ तिवारी बनाम धर्मेन्द्र यादव" का निर्णय दिनांक 31–05–2025 को पारित किया गया जिसमे अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम के अपराध से दोषसिद्ध किया गया और निम्न सजा से दण्डित किया गया – "...दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र जगदीश सिँह यादव को 06 माह के साधारण कारावास तथा अंकन 2,50,000/– रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । उपरोक्त अधिरोपित अर्थदण्ड मुबलिग 2,50,000/– रुपये मे से परिवादी को अंकन 2,20,000/– (दो लाख बीस हजार रुपये) मय हर्जा खर्चा प्रतिकर देय होगा तथा शेष 30,000/– रुपये (तीस हजार रुपये) राजकीय कोष मे जमा किये जायेंगे । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा मे दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को 03 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी...।"

अधीनस्थ न्यायालय के इसी प्रश्नगत् आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 31–05–2025 के विरुद्ध अपीलार्थी/दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा यह दाण्डिक अपील दायर की गई है ।

इस अपीलीय न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या 2/परिवादी सौरभ तिवारी के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.डी. मिश्रा तथा प्रत्यार्थी संख्या 1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई तथा इस अपील की पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का गहनता से विश्लेषण एवं विवेचन किया गया ।

अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव इस अपील की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नही आया और न ही उसकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओम नारायण मिश्रा उपस्थित आये जबकि न्यायालय द्वारा उन्हे जरिये सूचनार्थ नोटिस 15 ख इस बावत सूचित भी किया गया । इस तरह अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव व अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनकी ओर से इस अपील मे बहस नही की गयी ।

इस अपील के गुण–दोष पर न्याय–निर्णयन हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओ का निस्तारण किया जाता है :–

[1.] (i) क्या एक किता चैक संख्या 406699 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 30–01–2019 अंकन 50,000/– रुपये तथा (ii) एक किता चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 अंकन 40,000/– तथा (iii) एक किता चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 22–04–2019 अंकन 20,000/– तथा (iv) एक किता चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 अंकन 50,000/– रुपये, इन सभी चारो चैक पर अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के हस्ताक्षर है ? क्या इन सभी चारो चैको पर लिखे बचत खाता संख्या भी अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के ही बचत खाता है ?

इस प्रथम विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी पर है । परिवादी परिवादी सौरभ तिवारी ने इस सम्बन्ध मे अपने परिवाद मे यह कथन उल्लिखित किया है कि

"...परिवादी ने दिनाँक 20–12–2018 को मुबलिग 1,90,000/– रुपये अभियुक्त को गवाहान जितेन्द्र सिँह व कृष्णचन्द्र सावरन के समक्ष दिये थे जिसकी एवज मे अभियुक्त ने 15 दिन के अन्दर इस कीमत के बीच व कीटनाशक परिवादी की दुकान सौरभ बीज भण्डार पर सप्लाई करने का वायदा किया था जो कि उसने पूरा नही किया और फिर परिवादी द्वारा अपने उक्त रुपये का तकादा करने पर दिनाँक 30–01–2019 को सिंडिकेट बैंक का पहला चैक नम्बर 406699 अंकन 50,000/– रुपये, उसके बाद दिनाँक 08–02–2019 को इंडियन ओवरसीज बैंक का दूसरा चैक नम्बर 000058 अंकन 40,000/– रुपये और उसके बाद दिनाँक 22–04–2019 को सिंडिकेट बैंक का तीसरा चैक नम्बर 093854 अंकन 20,000/– रुपये और उसके बाद दिनाँक 06–05–2019 को सिंडिकेट बैंक का चौथा चैक संख्या 406700 दिनाँकित 06–05–2019 अंकन 50,000/– रुपये परिवादी प्रत्यार्थी को दिया । ये चारो चैक विपक्षी धर्मेंद्र यादव के उपरोक्त बचत खातो मे पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनाद्रित हो गये । ये सभी चारो चैक विपक्षी धर्मेंद्र यादव ने अपने हस्ताक्षर करके परिवादी को दिये थे ।"

परिवादी के उपरोक्त कथनो का खण्डन अभियुक्त द्वारा अपनी किसी लिखित आपत्ति या लिखित बहस दाखिल करके नही किया गया ।

इस सम्बन्ध मे परिवादी सौरभ तिवारी ने अपने टाइपशुदा ब्यान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे शपथ पूर्वक यह कथन किया है कि "...शपथकर्ता बीज भण्डार का प्रोपराइटर है । शपथकर्ता से अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने शपथकर्ता की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाई की सप्लाई देने का वादा किया और सप्लाई देने वाले माल (बीज व कीटनाशक) की कुल कीमत लगभग रूपये–1,90,000/–बतलाते हुए अग्रिम भुगतान करने को कहा, जिसके परिणामस्वरूप शपथकर्ता ने समक्ष गवहान रूपये 1,90,000/– रूपये अभियुक्त दिनांक 20–12–2018 को दिये । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कीमत के बीज व कीटनाशक शपथकर्ता की दुकान सौरभ बीज भण्डार पर प्राप्त कराने का वादा किया, जिसे समय पर प्राप्त नही करा सके । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा उपरोक्त माल की सप्लाई नही करायी गई तो शपथकर्ता ने अभियुक्त को सूचना दी, तो दिनांक 30–01–2019 को दुकान पर आकर माल की सप्लाई न होने की क्षमा याचना करके अभियुक्त ने किश्तो में रूपये वापस करने का वायद किया और रूपया वापस करने के इरादे से पहली चैक नम्बर 406699 सिण्डीकेट बैंक औरैया की 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये) की दिनांक 30–01–2019 को अपने हस्ताक्षर करके दी, जिसे शपथकर्ता ने अपनी तरफ से एक्सिस बैंक औरैया में भुगतान हेतु प्रस्तुत की, तो वह अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण दिनांक 31–01–2019 को अनादरित कर वापस कर दी गई । शपथकर्ता ने अभियुक्त को चैक डिसऑनर होने की सूचना दी तो अभियुक्त ने 15 अप्रैल के बाद पुनः चैक लगाकर भुगतान प्राप्स करने का आग्रह करते हुए गलती की क्षमा याचना की तथा रूपये की वापसी का आश्वासन देते हुए दूसरी चैक इण्डियन ओवरसीज बैंक की चैक नं0 000058 मुबलिग 40,000/–रू0 दिनांकित–08–02–2019 तथा तीसरी चैक सिण्डीकेट बैंक की चैक नं0 093854 की 20,000/–रू0 (बीस हजार रूपये) की दिनांकित–22–04–2019 अपने हस्ताक्षर करके दो अलग–अलग चैक दी और यह आश्वासन दिया कि इस बार कोई चैक

डिसऑनर नही होगी । शपथकर्ता ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की बात पर भरोसा करते हुए दोबारा में दी गई चैको को वास्ते भुगतान इण्डियन ओवरसीज बैंक की चैक नं0 000058 दिनांकित 08–02–2019 को अपने एक्सिस बैंक औरैया के खाते में लगायी जो दिनांक 08–02–2019 को खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण अनादरित कर वापस कर दी गई । इसके उपरान्त शपथकर्ता ने सिण्डीकेट बैंक की चैक नं0 093854 दिनांक 22–04–2019 को वास्ते भुगतान अपने एक्सिस बैंक खाते में लगायी तो वह भी दिनांक 23–04–2019 का डिसऑनर हो गई । चूँकि शपथकर्ता का अभियुक्त से भुगतान पाना ही मंशा था इसलिए शपथकर्ता ने पहली सिण्डीकेट बैंक की चैक जो डिसऑनर हो चुकी थी, वह चैक नं0 406699 पुनः भुगतान के लिए अपने एक्सिस बैंक के खाते में दिनांक 24–04–2019 को लगायी तो वह भी दिनांक 25–04–2019 को पुनः डिसऑनर हो गई । उपरोक्त सभी चैके खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण डिसऑनर हो रही थी । इसलिए शपथकर्ता ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव से स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से अभियुक्त के समक्ष पंहुच कर स्थिति स्पष्ट की तो अभियुक्त ने एक और अवसर देने की बात कही और एक नई 50,000/–रू0 की सिण्डीकेट बैंक की चैक नं0 406700 दिनांकित 06–05–2019 की चैक अपने हस्ताक्षर करके देते हुए यह आश्वासन दिया कि यह चैक व अन्य डिसऑनर चैक 5 मई के बाद पुनः लगा दें तो सभी चैकों का एक साथ भुगतान मिल जाएगा और शेष रूपया मय ब्याज के जून में अदा कर दूँगा । शपथकर्ता ने अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की बात पर पुनः विश्वास करते हुए भुगतान के इरादे से उपरोक्त चैक नम्बर 000058 चैक नं0 093854 व नई चैक नं0 406700 दिनांक 06–05–2019 को अपने एक्सिस बैंक औरैया के खाते में लगायी जो अभियुक्त के खातो में पर्याप्त धन न होने के कारण बैंक द्वारा डिसऑनर कर दी गई । विपक्षी अभियुक्त द्वारा शपथ–कर्ता को दी गई चैक नं0 406699 जो सिण्डीकेट बैंक की व एकाउन्ट नं0 94562200000220 की, चैक नं0 000058 जो इण्डियन ओवरसीज बैंक को व एकाउन्ट नं0 363802000000010 की, चैक नं0 093854 जो सिण्डीकेट बैंक की एकाउन्ट नं0–94963070000035 को तथा चैक नं0–406700 जो सिण्डीकेट बैंक की एकाउन्ट नं0 9496220000220 की अनादरित होना अवश्यम्भावी है जिससे विपक्षी/अभियुक्त का सुविचारित द्वेषपूर्ण इरादा और द्वेषपूर्ण उद्देश्य यह था कि विपक्षी /अभियुक्त द्वारा शपथकर्ता के प्रति देय धनराशि अलग –अलग खातो की अलग–अलग चैक द्वारा भुगतान न हो सके ।"

परिवादी के उपरोक्त धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के ब्यानो का भी कोई खण्डन विपक्षी/ अभियुक्त धर्मेंद्र यादव की ओर से किसी माध्यम से नही किया गया ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा (1.) कागज संख्या 13 ख एक किता चैक संख्या 406699 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 30–01–2019 की असल प्रति तथा (2.) कागज संख्या 15 ख एक किता चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की असल प्रति तथा (3.) कागज संख्या 17 ख एक किता चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 22–04–2019 की असल प्रति तथा (4.) कागज संख्या 19 ख एक किता चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल की गई है जिन पर स्पष्ट रूप से चैक नम्बर व अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के बचत खाता संख्या क्रमशः

(i) 94962200000220, (ii) 363802000000010 (iii) 94963070000035 एवं (iv) 94962200000220 लिखे है । इन सभी चारो चैको पर तिथि, अंकन रुपये व अन्य विवरण भी साफ तौर से छपे है । इन सभी चारो चैको पर अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के अंग्रेजी मे "धर्मेन्द्र" लिखकर किये गये हस्ताक्षर उपलब्ध है जो सभी चारो चैको पर एक जैसे है ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी ने धारा 254 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत pw1 के रूप मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपने बयान लेखबद्ध कराए गए । pw1 प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...दिनांक 20–12–2018 को बीज व कीटनाशक की सप्लाई का वादा करते हुए 1,90,000/– रुपए अभियुक्त ने भुगतान के लिए मांगे थे । यह रुपया मैंने वहां पर मौजूद जितेंद्र सिंह व कृष्ण चंद्र सावरन के सामने नगद रुपए विपक्षी धर्मेंद्र यादव पुत्र जगदीश सिंह यादव प्रोपराइटर अमृतसर सिद्धि शंकर ट्रेड दिबियापुर रोड़ शहर औरैया को दिए थे । धर्मेंद्र ने इन रुपयो की कीमत के कीटनाशक व बीज 15 दिन के अंदर दुकान पर प्राप्त कराने का वादा किया था ।...15 दिन के अंदर उपरोक्त बीज व कीटनाशक सप्लाई न होने पर मैंने धर्मेंद्र को सूचना भेजी थी जिस पर दिनांक 30–01–2019 को धर्मेंद्र ने स्वयं आकर वादा किया कि माल न देने पर क्षमा याचना कर रुपए वापस करने के साथ एक सिंडिकेट बैंक आदरणीय की चेक नंबर 406699 ₹50,000/– की अपने हस्ताक्षर करके दी थी जिसे मैंने अपने खाते में लगाया तो धर्मेंद्र यादव के खाते में पर्याप्त धन होने के कारण वह चैक दिनांक 31–01–2019 को हमारी एक्सिस बैंक औरैया ने वापस कर दी । मैंने उसे दिन चैक का भुगतान न होने की सूचना धर्मेंद्र को दे दी थी । इसके बाद धर्मेंद्र ने 15 अप्रैल के बाद चैक पुनः लगाने का आग्रह करते हुए व क्षमा याचना करते हुए उसकी चैक एक प्रति इंडियन ओवरसीज बैंक के अपने खाते की ₹40,000/– की चैक नंबर 000058 दिनांक 08–02–2019 के लिए जिसकी चैक सिंडिकेट इंडिया की अपने खाते की ₹20,000/– की चैक नंबर 093854 दिनांकित 20– 04–2019 के लिए दिनांक सभी चैक अपने हाथ से भरकर अपने हस्ताक्षर करके यह आश्वासन दिया कि अब की बार चैक का भुगतान अवश्य होगा । इसके बाद मैंने चैक नंबर 000058 दिनांक 08–02–2019 को एक्सिस बैंक का खाते में लगाया जो उस दिन खारिज होकर वापस हो गई । फिर सिंडिकेट बैंक की चैक नंबर 093854 दिनांक 22–04–2019 को एक्सिस बैंक में लगाया वह दिनांक 23–04– 2019 को खारिज हो गई । इसी क्रम में पहले वाली चैक संख्या 406699 की चैक पुनः भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में दिनांक 24–04–2019 को लगाया तो वह उस बार भी खारिज होकर दिनांक 25–04–2019 को वापस हो गई । फिर मैंने धर्मेंद्र के यहां जाकर उपरोक्त सारी बाते बताते हुए खारिज हुई चैक के बारे में कहा तो धर्मेंद्र ने एक अवसर और देने को कहा । एक नई चैक नंबर 40670 दिनांक 06–05–2019 पर अपने हस्ताक्षर करते हुए ₹50,000/– जो पूर्व की शेष धनराशि रह गई थी वह चैक भर कर दी और कहा कि सारी चैके दिनांक 05–05–2019 के बाद लगा देना । सभी चैक के एक साथ लगाये व एक साथ भुगतान देने की बात कही । धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि शेष रुपए मैं ब्याज के साथ जून में वापस कर दूंगा । धर्मेंद्र की बात पर विश्वास करके सभी चैके दिनांक 06–05–2019 को अपने एक्सिस बैंक के खाते में लगाये । खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बैंक से खारिज होकर दिनांक 06–05–2019 को वापस हो गई ।"

परिवादी सौरभ तिवारी से अभियुक्त धर्मेंद्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मुझे पहले चैक दिनांक 30–01–2019 को ₹50,000/– की दी गई थी । यह चैक मुझे दिनांक 31–01–2019 को वापस मिल गई थी । दूसरी चैक दिनांक 08–02–2019 को इंडियन ओवरसीज बैंक की थी जो ₹40,000/– की थी । दूसरी चैक मुझे अनाद्रित होकर दिनांक 09–02–2019 को वापस मिल गई थी । तीसरी चैक दिनांक 22–04–2019 को ₹20,000/– की दी गई थी जो दिनांक 23–04–2019 को वापस हो गई थी । ₹20,000/– की जो चैक लगायी थी वह एक्सिस बैंक द्वारा अनादरित कर दी गई । चैक सिंडिकेट बैंक की थी मेरे द्वारा सिंडिकेट बैंक की तीन चैक लगायी गई थी ।"

परिवादी के साक्षी pw2 कृष्णचन्द्र सावरन ने इस बारे मे अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे कुछ नही कहा और न ही अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रति–परीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध मे कुछ पूछा गया ।

इन दोनो साक्षीगण की गवाही खत्म होने के पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21–11–2024 को लिखे गये जिसमे अधीनस्थ न्यायालय इस सम्बन्ध मे पूछे जाने पर अभियुक्त धर्मेंद्र यादव ने यह कहा कि "दिनाँक 30–01–2019, दिनाँक 08–02–2019, दिनाँक 22–04–2019 को चैको का नगद भुगतान किया गया फिर भी समस्त चैको का भुगतान मांगने पर न देने की स्थिति मे गलत दावा दायर किया ।" अपीलार्थी/अभियुक्त ने सफाई–साक्ष्य देना भी कहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बावत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से सफाई–साक्ष्य मे न तो किसी साक्षी को उक्त न्यायालय मे पेश किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई अभिलेखिय साक्ष्य अथवा दस्तावेज ही दाखिल किया गया ।

इससे पूर्व दिनाँक 11–08–2023 को अभियुक्त धर्मेंद्र यादव का 'ब्यान–मुल्जिम' अधीनस्थ न्यायालय मे लिखा गया जिसमे इस बार मे पूछने पर अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा यहा कहा गया कि "उक्त धनराशि के चैक मेरे द्वारा परिवादी को दी गयी है जिसमे से रुपये 1,29,000/– रुपये मेरे द्वारा परिवादी को दिये जा चुके है ।"

धारा 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि किसी भी कार्यवाही मे पक्षकार व उनके एजेन्ट के द्वारा की गयी स्वीकृति धारा 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप मे गृहण किये जाने योग्य है जिस कारण अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे इस बावत जो स्वीकृति की है वह साक्ष्य मे ग्राह्य है क्योंकि अपीलार्थी अभियुक्त धर्मेंद्र यादव ने प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के साक्ष्य का खण्डन नही किया है ।

इस तरह अभियुक्त धर्मेंद्र यादव ने यह स्वीकार किया है कि उक्त धनराशि के चैक स्वयं अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा ही परिवादी सौरभ तिवारी को दिये गये थे । इसके अलावा अभियुक्त का यह कहना है कि इस धनराशि मे से वह 1,29,000/– रुपये परिवादी को भुगतान कर चुका है परन्तु यह एक साक्ष्य का विषय है और इस विचारणीय बिन्दु से एक अलग विषय है जिसे साबित करने भार (Onus to prove) अभियुक्त पर शिफ्ट हो जाता है जो कि उसके द्वारा इस केस मे नही किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध मे विधि व्यवस्था Rangappa Vs. Shrimohan, (2010) 11 SCC 441 का उल्लेख किया है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि – "Once a cheque has been signed and issued in favour of the holder, there is a statutory presumption that it is issued in discharge of a legally enforceable debt or liability." अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव ने उक्त चार चैक प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के पक्ष मे क्यों जारी किये ? इस प्रश्न के जवाब मे अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव ने अपने 'ब्यान–मुल्जिम' व ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे उक्त धनराशि मे से मुबलिग 1,29,000/– रुपये परिवादी को लौटा दिये जाने का कथन किया है जिसका तात्पर्य यही निकलता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि 1,90,000/– उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्यार्थी /परिवादी से लिये गये और जिसके बदले मे उक्त चार चैक प्रत्यार्थी/परिवादी को दिये गये । जहाँ तक प्रश्न उक्त धनराशि प्रत्यार्थी/परिवादी को लौटाने का है तो इस तथ्य को साबित करने का भार (Onus) अपीलार्थी/अभियुक्त पर शिफ्ट हो गया था परन्तु अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिये किसी भी गवाह को न्यायालय मे पेश नही किया गया और न ही स्वयं गवाह के रूप मे पेश हुआ ।

इस तरह से उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन, विश्लेषण से तथा परिवाद पत्र मे उल्लिखित कथन, प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता मे उल्लिखित बयान, प्रत्यार्थी/परिवादी pw1 सौरभ तिवारी के ब्यान और अभिलेखीय साक्ष्य मे प्रस्तुत प्रश्नगत् चैक की असल प्रतियों मे उल्लिखित विवरणो इत्यादि के विवेचन एवं विश्लेषण करने से तथा अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा दिए गए उत्तरो का विवेचन एवं विश्लेषण करने से यह साबित होता है कि सभी चारो प्रश्नगत् चैको पर अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के ही हस्ताक्षर है और इन सभी चारो प्रश्नगत् चैको पर लिखी बचत खाता संख्याएं भी अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के उक्त बचत खातो की ही है ।

अतः यह विचारणीय बिंदु प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के पक्ष मे सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाने योग्य है तद्नुसार निस्तारित किया जाता है ।

[2.] क्या अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी से परिवादी की बीज व कीटनाशक की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाओ की सप्लाई करने के लिये मुबलिग 1,90,000/– रुपये दिनाँक 20–12–2018 को लिये गये जिसकी एवज मे ये चारो प्रश्नगत् चैक अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी को दिये गये ?

इस विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी पर है ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी ने इस सम्बन्ध मे अपने परिवाद मे यह कथन उल्लिखित किया है कि "...परिवादी बीज भण्डार का प्रोपराइटर है । परिवादी नियमित अपनी फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर स्थित अपनी दुकान पर बैठता है व खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं व अन्य खेती सम्बन्धी उत्पादो का व्यापार करता है । परिवादी से अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र जगदीश सिँह यादव ने परिवादी की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाई की सप्लाई देने का वादा किया और सप्लाई देने वाले माल

(बीज व कीटनाशक) की कुल कीमत लगभग रुपये 1,90,000/– बतलाते हुए अग्रिम भुगतान करने को कहा जिसके परिणामस्वरूप परिवादी ने समक्ष गवाहान श्री जितेन्द्र सिँह पुत्र व कृष्णचन्द्र सावरन के समक्ष रुपये 1,90,000/– अभियुक्त को दिनाँक 20–12–2018 को दिये । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कीमत के बीज व कीटनाशक परिवादी की दुकान सौरभ बीज भण्डार फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर प्राप्त कराने का वादा किया जिसे समय पर प्राप्त नही करा सके ।"

अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव की ओर उपरोक्त कथनो का खण्डन नही किया गया ।

परिवादी प्रत्यार्थी सौरभ तिवारी ने इस सम्बन्ध मे अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे यह कहा कि "...शपथकर्ता बीज भण्डार का प्रोपराइटर है । शपथकर्ता नियमित अपनी फरीदपुर मोड फफूँद रोड़ औरैया पर स्थित अपनी दुकान पर बैठता है व खाद बीज, कीटनाशक दवाओं व अन्य खेती सम्बन्धी उत्पादो का व्यापार करता है । शपथकर्ता से अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री जगदीश सिंह यादव ने शपथकर्ता की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाई की सप्लाई देने का वादा किया और सप्लाई देने वाले माल (बीज व कीटनाशक) की कुल कीमत लगभग रूपये 1,90,000/– बतलाते हुए अग्रिम भुगतान करने को कहा, जिसके परिणामस्वरूप शपथकर्ता ने समक्ष गवहान श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह ग्राम –माल्हेपुर, पोस्ट–वाखाउतू, निवासी–मदार दरवाजा, थाना कोतवाली औरैया रूपये 1,90,000/– रू0 अभियुक्त दिनांक 20–12–2018 को दिये । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कीमत के बीज व कीटनाशक शपथकर्ता की दुकान सौरभ बीज भण्डार फरीदपुर मोड फफूँद रोड़ औरैया पर प्राप्त कराने का वादा किया, जिसे समय पर प्राप्त नही करा सके ।"

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से परिवादी के उक्त कथनो का भी किसी तरह से कोई खण्डन नही किया गया ।

परिवादी pw1 सौरभ तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे इस सम्बन्ध मे यह कथन किया कि "...दिनांक 20–12–2018 को बीज व कीटनाशक की सप्लाई का वादा करते हुए 1,90,000/– रुपए अभियुक्त ने भुगतान के लिए मांगे थे । यह रुपया मैंने वहां पर मौजूद जितेंद्र सिंह व कृष्ण चंद्र सावरन के सामने नगद रुपए विपक्षी धर्मेंद्र यादव पुत्र जगदीश सिंह यादव प्रोपराइट मैसर्स सिद्धेश्वर ट्रेडर दिबियापुर रोड़ शहर औरैया को दिए थे । धर्मेंद्र ने इन रुपयो की कीमत के कीटनाशक व बीज 15 दिन के अंदर दुकान पर प्राप्त कराने का वादा किया था । मेरी दुकान सौरभ बीज भंडार फरीदपुर मोड़ पर औरैया में है । मैं खेती संबंधित उत्पादो के लिए खाद, बीज, कीटनाशक की दवाओं का व्यापार करता हूँ । उपरोक्त धर्मेंद्र यादव ने अपने को बीज व कीटनाशक दवाओं की सप्लाई वाला सप्लायर बताते हुए माल देने का वादा किया था ।"

परिवादी सौरभ तिवारी से अभियुक्त धर्मेंद्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कथन किया कि "...मैंने धर्मेंद्र यादव से उनके डिस्ट्रीब्यूटर होने का कोई कार्ड नही देखा था । यह डिस्ट्रीब्यूटर है और मैंने इसको पहले मान लिया था । 1,90,000/– रुपए अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को जो दिया गया था, उस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज नही है ।...यह कहना गलत है कि जो चैके अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा दी गई थी वह बतौर क्रेडिट रूप में और भुगतान

अभियुक्त द्वारा पहले कर दिया गया था ।"

परिवादी की ओर से पेश हुए साक्षी pw2 कृष्णचन्द्र सावरन ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मैं अपनी खेती के कार्य में प्रयोग होने वाले बीज, खाद व कीटनाशक आदि की अधिकतर खरीदारी सौरभ बीज भण्डार से करता हूँ । दिनांक 20–12–2018 को समय करीब 12:00 बजे मैं सौरभ बीज भण्डार से बीज खरीदने गया हुआ था तब कुछ देर के बाद धर्मेन्द्र यादव आये थे व सौरभ ने उनको 190,000/– रुपये मेरे सामने दिये थे जिसे धर्मेन्द्र ने गिनकर रुपये रख लिये थे और 15 दिन के अन्दर बीज व कीटनाशक की सप्लाई दे देने की बात धर्मेन्द्र ने मेरे सामने कही थी । इसके बाद धर्मेन्द्र रुपये लेकर दुकान से चले गये थे । मैं धर्मेन्द्र यादव को भी पहले से जानता व पहचानता हूँ । इनकी भी दुकान बीज व कीटनाशक सप्लाई की सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के नाम से दिबियापुर रोड़ पर (ककोर वाले डॉक्टर साहब के पास में) है । इन्हे पहले भी सौरभ बीज भण्डार पर भी आते देखा था । उस समय जितेन्द्र सिंह पड़ोसी भी था । कई माह बाद सौरभ ने बताया था कि कई बार धर्मेन्द्र से कहा कि माल नही दिया तो रुपया वापस करो तो उसने चैक दी लेकिन चैक से भी रुपया नही मिला है तब सौरभ ने बताया कि मुकदमा करना पड़ेगा । यह बात पिछले वर्ष मई माह के प्रारम्भ में कही थी ।"

साक्षी pw2 कृष्ण चंद्र सावरन पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर से अभियुक्त धर्मेंद्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने यह कथन किया कि "...मेरे सामने सौरभ तिवारी ने धर्मेंद्र यादव को 1,90,000/– रुपए दिए थे । धर्मेंद्र यादव ने रुपए गिने थे और बोले कि रुपए पूरे है पर मैं यह नही बता सकता कि 500, 200, 100, 50 के नोट कितनी संख्या में कौन–कौन–से नोट थे । नोट कुछ इस्तेमाली थे और कितने थे, यह मुझे याद नही है । धर्मेंद्र ने नोट प्राप्त करने के बाद यह नही लिख कर दिया कि रुपया प्राप्त हो गए है । मैंने धर्मेंद्र को सबसे पहले इस घटना के दो–तीन वर्ष पहले देखा था । इससे पहले मैंने सौरभ के यहां धर्मेंद्र को लेन–देन करते नही देखा या आते–जाते देखा था । धर्मेंद्र कीटनाशक व बीज की सप्लाई करते है । कहां–कहां पर करते है, मुझे नही मालूम । सौरभ ने रुपए वापसी की बात मुझे नबावसी के बाबत रुपए के धर्मेंद्र द्वारा रुपए वापस नही किए है, यह बात में 2023 में बतायी थी । मुकदमा करने की बात इसके बाद बतायी थी ।"

अभियुक्त धर्मेंद्र यादव की ओर से इस सम्बन्ध मे सफाई–साक्ष्य मे किसी भी साक्षी को अपनी ओर से न्यायालय मे पेश नही किया गया ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित होता है कि प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी "सौरभ बीज भंडार" के प्रोपराइटर है जिनकी फरीदपुर मोड़ फफूद रोड़ औरैया पर अपनी "सौरभ बीज भंडार" के नाम से दुकान है जिस पर प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी बैठकर खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं व अन्य खेती संबंधी उत्पादो का व्यापार करते है । अभियुक्त धर्मेंद्र यादव भी बीज व कीटनाशक दवाओं की सप्लाई की "सिद्धेश्वर ट्रेडर्स" के नाम से दिबियापुर रोड़ पर (ककोर वाले डॉक्टर साहब के पास) में व्यवसाय कार्य करते है और अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा प्रत्यार्थी /परिवादी सौरभ तिवारी से प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाइयों की सप्लाई करने हेतु नकद 1,90,000/– रुपए लिए परंतु इसकी कीमत के बदले में उक्त बीज व कीटनाशक दवाइयों

की सप्लाई निश्चित समयवधि तक परिवादी को नही की तत्पश्चात ही परिवादी द्वारा यह विधिक कार्यवाही अमल मे लायी गयी । प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा स्वयं के बयान और अपनी तरफ से साक्षी कृष्ण चंद्र सावरन के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए जिनसे उक्त तथ्य बखूबी साबित होते है । अभियुक्त धर्मेंद्र यादव की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में न तो स्वयं को dw1 के रूप में पेश किया गया और न ही अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया और न ही अपने किसी साक्षी को सफाई–साक्ष्य के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिस कारण परिवादी व परिवादी के उपरोक्त ब्यान अखण्डनीय रहे । यद्यपि परिवादी और परिवादी के साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई परंतु उसमे ऐसा कोई कथन सामने नही आया जिससे विपरीत तथ्य साबित होता हो । ऐसी दशा में इस विचारणीय बिंदु संख्या 2 को प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा भली–भांति साबित किया गया है ।

अतः यह विचारणीय बिन्दु संख्या 2 प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के पक्ष मे सकारात्मक रूप से निस्तारण किया जाने योग्य है तद्नुसार निस्तारित किया जाता है ।

[3.] क्या (i) क्या एक किता चैक संख्या 406699 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 30–01–2019 अंकन 50,000/– रुपये तथा (ii) एक किता चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 अंकन 40,000/– तथा (iii) एक किता चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 22–04–2019 अंकन 20,000/– तथा (iv) एक किता चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 अंकन 50,000/– रुपये, के अनाद्रित होने की सूचना बैंक से मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा डिमाण्ड नोटिस अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को नही दिया गया ? क्या उक्त डिमाण्ड नोटिस अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को प्राप्त नही हुआ ? क्या प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा यह परिवाद निर्धारित समयावधि मे दायर नही किया गया ?

इस विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव पर है परन्तु इस अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव इस अपीलीय न्यायालय मे उपस्थित नही आया और न ही उसकी ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये जिस कारण इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध मे अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव की ओर से किसी प्रकार का कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया और न ही किसी प्रकार के साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया जा सका । वहीं दूसरी ओर प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत् चैक के अनाद्रित होने की सूचना मिलने पर 30 दिन के भीतर अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस दिया गया जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है । यह नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा गया था और उक्त पंजीकृत डाक की रसीद की छायाप्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है । यह लीगल नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हुआ परन्तु इस लीगल नोटिस का कोई जवाब अभियुक्त की ओर से नही दिया गया । उसके बाद निर्धारित समयावधि मे यह परिवाद दायर किया गया ।

इस अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विचारणीय बिंदु पर प्रत्यार्थी परिवादी सौरभ तिवारी के विद्वान

अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया तथा इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनता से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी ने अपने परिवाद मे इस सम्बन्ध मे यह उल्लिखित किया गया है कि "...परिवादी ने विहित समयावधि के अन्दर दिनाँक 10–05–2019 को अपने अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी अभियुक्त को देय धनराशि मुबलिग 1,90,000/– जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से विपक्षी अभियुक्त को परिवाद मे दर्ज उपरोक्त सही पते पर प्रेषित किया गया था । इस मांग नोटिस की विपक्षी/अभियुक्त को प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी विपक्षी अभियुक्त ने मांग नोटिस मे लिखित समयावधि के अन्दर परिवादी के प्रति देय धनराशि 1,90,000/– रुपये अदा नही की है । इस वजह से परिवादी द्वारा विपक्षी/अभियुक्त के विरुद्ध यह परिवाद धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है...।"

प्रत्यार्थी परिवादी सौरभ तिवारी की ओर से अपने उपरोक्त कथनो के समर्थन मे अभिलेखिय साक्ष्य के रूप मे कागज संख्या 8ख पंजीकृत डाक दिनाँकित 10–05–2019 की छायाप्रति तथा कागज संख्या 9ख/1 लगायत 9ख/2 परिवादी सौरभ तिवारी के अधिवक्ता श्री डी.डी. मिश्रा द्वारा विपक्षी धर्मेन्द्र यादव को पंजीकृत डाक से भेजे गये नोटिस दिनाँकित 10–05–2019 की छायाप्रति, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल की गयी है ।

इसके अलावा प्रत्यार्थी परिवादी सौरभ तिवारी की ओर से उक्त चैक अनाद्रित होने के सम्बन्ध मे भी अभिलेखिय साक्ष्य के रूप मे निम्न दस्तावेज दाखिल किये गये – (1.) कागज संख्या 14ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 31–01–2019 की असल प्रति, (2.) कागज संख्या 14ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406699 एक्सिस बैंक दिनाँकित 25–04–2019 की असल प्रति, (3.) कागज संख्या 16ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 08–02–2019 की असल प्रति, (4.) कागज संख्या 16ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति, (5.) कागज संख्या 18ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 23–04–2019 की असल प्रति, (6.) कागज संख्या 18ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति एवं (7.) कागज संख्या 20ख एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 की असल प्रति ।

प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के शपथ पत्र मे भी उक्त कथनो को दोहराया ।

परिवादी pw1 सौरभ तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे इस सम्बन्ध मे यह कथन किया कि "...धर्मेंद्र यादव पर मेरा मुबलिग 1,90,000/– (एक लाख नब्बे हजार रुपए) बकाया चल रहे थे, वह नही दे रहा था, इसलिए मैंने दिनांक 10–05–2019 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को एक नोटिस दिनांक 10–05–2019 को बकाया धनराशि जरिये रजिस्ट्री भेजा

था जो धर्मेंद्र को प्राप्त हुआ था । धर्मेंद्र ने दी गयी समयावधि मे रुपए वापस नही किये । नोटिस दिनांक 10–05–2019 की छाया–प्रतिलिपि कागज 9 क/1 लगायत 9 क/2 है । इसके बाद समय अवधि में रुपए अदा न करने के कारण मैंने न्यायालय में दिनांक 21–06–2019 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा दायर किया जो कागज संख्या 2 क/1 लगायत 2 क/4 है ।"

परिवादी सौरभ तिवारी से अभियुक्त धर्मेंद्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कथन किया कि "...1,90,000/–रुपए की अदायगी न होने पर नोटिस मेरे द्वारा कब दिया गया है, मुझे इस समय याद नही है । मुझे इतना याद है कि मेरे द्वारा एक ही रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को दिया गया है और उस नोटिस मेरे द्वारा अधिवक्ता महोदय के माध्यम से 1,90,000/– रुपए के बाबत नोटिस था ।"

अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा अपने 'ब्यान–मुल्जिम' मे इस बारे मे पूछे जाने पर यह कहा कि "..चौथी चैक की नोटिस मुझे प्राप्त हुई थी ।" इस तरह से अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा चौथे चैक का नोटिस मिलना स्वीकार किया गया परन्तु इस नोटिस का कोई प्रत्युत्तर अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी को नही दिया गया अर्थात् इस नोटिस मे लिखे कथनो का कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से जवाबी नोटिस भेज कर नही किया गया ।

यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पराक्रम्य अधिनियम के संशोधन अधिनियम संख्या 55 सन् 2002 जो दिनाँक 06–02–2003 से लागू हुआ है, अब धारा 138 (b) के परन्तुक मे यह व्यवस्था है कि बैंक से चैक अनाद्रित होने की सूचना प्राप्त होने पर विपक्षी को लीगल डिमाण्ड नोटिस 30 दिन के भीतर भेजा जा सकता है जो पहले 15 दिन मे भेजा जाना अनिवार्य था । प्रस्तुत केस मे प्रश्नगत् चैक कागज संख्या 16 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 000058 इंडियन ओवरसीज बैंक दिनाँकित 06–05–2019, कागज संख्या 18 ख/1 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 23–04–2019, कागज संख्या 18 ख/2 एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 093854 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 एवं कागज संख्या 20 ख एक किता रिटर्न मीमो सम्बन्धित चैक संख्या 406700 सिंडिकेट बैंक दिनाँकित 06–05–2019 के 3 दिन बाद ही दिनांक 10–05–2019 को प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा अपने अधिवक्ता श्री डी.डी. मिश्रा के माध्यम से लीगल डिमाण्ड नोटिस दिनाँक 10–05–2019 को जरिये पंजीकृत डाक अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को भेज दिया गया ।

जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 27 के अनुसार यदि उक्त लीगल डिमाण्ड नोटिस विपक्षी के सही पते पर भेजा गया है तो विपक्षी के ऊपर यह साबित करने का भार होगा कि उक्त नोटिस उसे नही मिला । उक्त नोटिस भेजने वाला व्यक्ति उस नोटिस के विपक्षी को न मिलने के लिये जिम्मेदार नही होगा । यद्यपि प्रस्तुत केस मे अभियुक्त धर्मेंद्र यादव द्वारा अपने 'ब्यान–मुल्जिम' मे उक्त नोटिस मिलना स्वीकार किया है ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित होता है कि प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी को उक्त प्रश्नगत् चैको के अनाद्रित होने की तिथि 06–05–2019 की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर दिनांक 10–05–2019 को प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा

अपने विद्वान अधिवक्ता श्री डी.डी. मिश्रा एडवोकेट के माध्यम से लीगल डिमांड नोटिस जरिए पंजीकृत डाक अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के निवास स्थान के पते पर भेजा गया जो कि उसे प्राप्त हो गया था जैसा कि अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा स्वयं अपने 'ब्यान–मुल्जिम' मे भी स्वीकार किया गया है । तत्पश्चात् 15 दिन के अंदर जब अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव द्वारा चैक मे वर्णित धनराशि प्रत्यार्थी को अदा नही की गई तब दिनांक 21–06–2019 को निर्धारित समयावधि के अंदर प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध धारा138 पराक्रम्य अधिनियम के तहत यह परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया न्यायालय मे दायर किया गया जो कि विधिवत् रूप से नियमानुसार सही दायर किया गया है ।

अतः यह विचारणीय बिंदु अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाने योग्य है, तद्नुसार निस्तारित किया जाता है ।

<u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्त समस्त विचारणीय बिंदुओ के निस्तारण के आधार पर इस अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रत्यार्थी/परिवादी सौरभ तिवारी फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर 'सौरभ बीज भण्डार ' के नाम से दुकान करते है जिसमे वह खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं व अन्य खेती सम्बन्धी उत्पादो का व्यापार करते है । अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की भी दुकान बीज व कीटनाशक सप्लाई की 'सिद्धेश्वर ट्रेडर्स' के नाम से दिबियापुर रोड़ पर (ककोर वाले डॉक्टर साहब के पास में) है । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने परिवादी सौरभ तिवारी की दुकान पर बीज व कीटनाशक दवाईयों की सप्लाई देने का वादा किया और सप्लाई देने वाले माल (बीज व कीटनाशक) की कुल कीमत लगभग रुपये 1,90,000/– बतलाते हुए अग्रिम भुगतान करने को कहा जिसके परिणामस्वरूप परिवादी ने गवाहान कृष्णचन्द्र सावरन व जितेन्द्र सिँह के समक्ष अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को कुल रुपये 1,90,000/– दिनाँक 20–12–2018 को दिये । अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कीमत के बीज व कीटनाशक दवाइयां परिवादी की दुकान सौरभ बीज भण्डार फरीदपुर मोड़ फफूंद रोड़ औरैया पर प्राप्त कराने का वादा किया परन्तु इस निर्धारित समयावधि मे अभियुक्त ने परिवादी की दुकान पर उक्त माल की सप्लाई नही की । उसके बाद परिवादी ने अपने उक्त रुपये अभियुक्त से वापस मांगे तो वह हीला–हवाली करने लगा तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस भी अभियुक्त को पंजीकृत डाक से भेजा जो उसे मिला परन्तु अभियुक्त ने इस लीगल नोटिस का कोई जवाब परिवादी को नही दिया और न ही परिवादी का उक्त रुपया वापस किया वरन् अलग–अलग तारीखो पर चार चैक अपने हस्ताक्षर करके परिवादी को दिये जो परिवादी के बैंक से इस टिप्पणी के साथ परिवादी को वापस कर दिये गये कि अभियुक्त के बचत खाता मे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नही है । तब परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि मे न्यायालय मे अभियुक्त के विरुद्ध यह परिवाद दायर किया ।

अतः इस अपीलीय न्यायालय के अभिमत मे, उपरोक्त समस्त विचारणीय बिन्दुओं के निस्तारण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 1774/2019 'सौरभ बीज भण्डार बनाम धर्मेन्द्र यादव', अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया, मे पारित प्रश्नगत् आदेश व निर्णय दिनाँकित 31–

05–2025 एक विधिसम्मत् पूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है जिस कारण अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की यह दाण्डिक अपील निरस्त की जाने योग्य है ।

आदेश

अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव की यह दाण्डिक अपील निरस्त की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 1774/2019 'सौरभ बीज भण्डार बनाम धर्मेन्द्र यादव', अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया, मे पारित प्रश्नगत् आदेश व निर्णय दिनाँकित 31–05–2025 पुष्ट (Confirm) किया जाता है ।

अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा दिनांक 31–05–2025 को पारित प्रश्नगत् आदेश व निर्णय का अनुपालन, इस अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय की तिथि से अगले 60 दिन के भीतर अवश्य करे ।

इस निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को निःशुल्क प्रदान की जाए ।

इस निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रखकर उक्त मूल पत्रावली आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को जल्द ही प्रेषित की जाए ।

इस दाण्डिक अपील की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

दिनाँक : 17–03–2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर सुनाया गया ।

दिनाँक : 17–03–2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}